देवबणी री बात

कृपाविस का सामुदायिक जंगल 'देवबणी/ओरण' संरक्षण अभियान

अंक 6 मई 2007

ओरण देवबणी संरक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार के पर्यावरण व वन मन्त्रालय, पर्यावरण शिक्षण केन्द्र तथा विश्व संघ विकास कार्यक्रम के लघु आर्थिक सहयोग से कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपा संस्था/कृपाविस) द्वारा एक परियोजना 'स्थानीय जैव विविधता सम्बन्धित नीति और समुदायों की आजीविका हेतु ओरण देवबणीयो का संरक्षण हेतु एडवोकेसी कार्यक्रम' चलाया जा है। इस कार्यक्रम मे निम्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं –

जागरुकता, प्रशिक्षण व अध्ययन

- सर्म्पक व बैठकें
- अध्ययन– सम्पुर्ण राजस्थान के प्रत्येक जिले की चुन्निदा ओरणों का अध्ययन
- जागरुकता– ओरण व देवबणी के संरक्षण व प्रबन्धन पर गॉव में जागरुकता तथा ग्रामीणों को संगठित करना
- प्रशिक्षण– ओरण देवबणी के बेहतर ढंग से संरक्षण व प्रबन्धन पर प्रशिक्षण

पुनरोत्थान व बेहतर प्रबन्धन के नमूना मॉडल तैयार करने हेतु अलवर व जयपुर जिले की 10 चुन्निदा देवबणियों/ओरणों मे निम्न गतिविधियों का आयोजन

- देवबणी ओरण में भू संरक्षण (मिट्टी कटाव व नमी रोकने) हेतु 'टक', चैक डेमस, ट्रेंचीग, कंन्टूर आदि का निर्माण
- देवबणी ओरण में परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे तालाब, झरना, बावडी, जोहड, कुन्ड़, टॉका, कुइया, आदि का पुनरोत्थान
- वृक्षारोपण व बीजारोपण विशेषकर स्थानीय प्रजाति

कृपाविस
कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान
गांव–बख्तपुरा, पो० सिलीसेढ़ झील,
जिला अलवर – 301001 (राजस्थान)
ई–मेल: krapavis_oran@rediffmail.com
सम्पादन : अमनसिंह व प्रतिभा सिसोदिया

तथा जड़ी बूटीं के पौधों का

- स्थानीय तथा दुर्लभ प्रजातियो की पौधशालाए उगाना
- देवबणी के सुरक्षा हेतु सामाजिक फेंसिग/ कोरा पारा
- देवबणी रखरखाव हेतु साधु–सूफी सन्त (महात्मा) की व्यवस्था
- बेहतर प्रबन्धन हेतु स्वयं सहायता समूह/वन समिति या अन्य ग्राम स्तरीय संगठनों का गठन
- सांस्कृतिक मेलो का वार्षिक आयोजन

ओरण/ देवबणी पर समाज तथा पंचायतों का अधिकार हेतु नितिगत बदलाव के लिए एडवोकेसी नेटवर्किंग

- गॉवों के समुदायों के साथ मिटिंग कार्याशाला आदि का आयोजन
- स्वैच्छिक तथा सम्बन्धित सरकारी संस्थाओ के साथ सम्पर्क एवं समन्वयन
- विषय पर संदर्भ सामग्री तैयार व प्रसारित करना
- क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन
- शिक्षकों व विधार्थियों के साथ वार्ता व जागरूकता
- नीति निर्धारकों, योजनाकारों, प्रशासन, राजनेताओं के साथ बैठकों का आयोजन
- पंचायत की बैठक आयोजित कर देवबणी संरक्षण कार्यो में सहभागी बनाना
- राज्य स्तर पर 'ओरण फोरम' का गठन

अंतः सभी सम्बन्धित सरकारी विभागों, प्रशासन, स्वैच्छिक संस्थाओं, शिक्षकों, राजनेताओं तथा ग्रामीणों आदि से ओरण देवबणी संरक्षण के इस कार्यक्रम में भागीदारी व सहयोग की अपील की जाती है।

कृपाविस पीर बाबा की देवबणी कूण्डला, जहा खग मृग अनदित रहही सबला

पीर बाबा की देवबणी अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कूण्ड़ला में स्थित है। यह अलवर से दक्षिण–पश्चिम दिशा में राजगढ़–टहला मार्ग पर 60 किमी दूरी पर है। पीर बाबा का स्थान अरावली पर्वत माला के भाग पर लगभग 400 मीटर की उँचाई पर स्थित है। यहॉ पर एक छोटा सा मन्दिर है, एक चबूतरा है व पानी की व्यवस्था हेतु एक कुई है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो यह जगह अरावली पर्वत मालाओं से घिरी हुई एक ऐतिहासिक जगह है यहॉ पर स्थानीय लोगों ने देवता/पीर बाबा के नाम पर बहुत सारे वृक्ष संरक्षित रखे हुऐ है। इस देवबणी का क्षेत्रफल लगभग 100 हैक्टेयर है। लोगो की मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति बाबा की बनी से छेड़छाड़ करेगा तो बाबा उसे स्वयं परचा दे देगें।

देवबणी में धौंक का वन है तथा बीचों बीच पहाड़ के उपर देवबणी रक्षक देवता का स्थान हैं जिसके नाम से यह देवबणी सदियों से बची रही है। यहॉ के पुजारी व स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि कहा जाता है कि आज से पांच–छः सौ वर्ष पूर्व यह गांव राजपूतों का गांव था तथा इस गांव में एक मीणा परिवार तथा एक मुस्लिम धर्म को मानने वाला साधु भी रहता था। मीणा परिवार साधु की काफी सेवा करता था। साधु के मरने के बाद मीणा परिवारों ने साधु की समाधि बनाकर उसके आस–पास के क्षेत्र को देवबणी घोषित कर दिया तथा तभी से इसे बचाया जा रहा है। खैर कहानी कुछ भी हो लेकिन इस देवबणी क्षेत्र में धौंक का जंगल है उसे लोगों ने धार्मिक मान्यता के आधार पर बचाये रखा है।

ऐसे जीवंत संबंधों के कारण ही इस बणी मे पक्षियों व वन्य जीवों के पानी पीने के लिए पत्थर सीमेंट की खली तथा कुइयां है। इसमे समय–समय पर पानी भरा जाता है। इसी प्रकार चिड़ियों का चुग्गा डालने तथा चीटियां को आहार डालने की प्रथा भी अविरत चल रही है। चुग्गे के लिए साल भर का पर्याप्त अनाज उपलब्ध रहे इस हेतु सावड़/शक प्रथा प्रचलित है। जो किसान अपने गेहुं के ढेर मे से जो शक/सावड अनाज के रुप मे निकालते हैं उस अनाज को मेले के दिन बणी के भण्डार मे पहुंचाते है।

पीर बाबा की देवबणी मे सांस्कतिक मेला हर वर्ष जेष्ठ माह की पढवा को आयोजित किया जाता है। यह मेला ग्राम पंचायत कुण्डला मे पीर बाबा के यहॉ भरता है जिसमे गॉव के 12 ढाणियों व पडौसी गॉव के लौग भी भाग लेते है। इसे सभी लौग बडी श्रदा के साथ मानते है व पुजते है। गॉव का प्रत्येक व्यक्ति जवान, बूढा, सभी खुशहाली की मन्नत मागनें डुगंरी मे बाबा की चौखट पर जाते है पूजा अर्चना करते है व मन्नत मॉगते है।

ग्राम कूण्ड़ला में लगभग 250 परिवार है जिसमें से 220 परिवार मीणा समाज के है व 22–23 परिवार बलाई समाज के है और एक पांचाल परिवार है। यहॉ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि है। यहॉ लोग परम्परागत तरीके से पशु पालते है। जिसमें ज्यादातर सभी लोग बकरी, भैंस व गाय पालते है। जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत कम है। गॉव में एक दुग्ध उत्पादन महिला सहकारी समिति खुली हुई है जिसमें गॉव के सभी लोग अपने पशुओं का दूध सुबह के समय बेचते है जो अलवर सरस ड़ेयरी पर आता है। यहॉ लोग कृषि भी परम्परागत तरीके से करते है यहॉ मुख्यतः दो ही फसलों का उत्पादन होता है, रबी – मुख्यतः जौ, गेहूँ, चना, सरसों आदि तथा खरीफ – मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन की फसल बोते है। वर्तमान में जायद की फसल के रुप में लोग;जिनके कुओं में पानी वपष भर चलता है – भिन्ड़ी, टिण्ड़ा आदि करने लगे है लोग यहॉ पर पुराने समय से तम्बाकू जो हुक्के से नशे के रुप में पिया जाता है, का उत्पादन करते है। श्री मातादीन पांचाल ने बताया कि वर्तमान में पीने का पानी टैंकरों से आने लगा है।

वर्तमान मे इस बनी में सभी वृक्ष प्राचीन है जो गिर रहे है तथा नया वृक्ष एक भी नही है और ये भी धीरे–धीरे लुप्त होने की कगार पर है, बहुत सारा मिट्रटी कटाव व नाले पड गये है, पानी संग्रहण की कुइयॉ मरम्मत के अभाव मे र्जजर हालत मे है, पत्थर खनन, अतिकमण, अधिक चराई आदि के कारण इस देवबणी में पिछले कुछ वर्षो में काफी बिगाड हुआ है। कृपाविस/कृपा संस्था (कृषि एवं पारिस्थीतिकी विकास संस्थान) के प्रयासो से यहॉ के गाव में पुन जाग्रति आई है तथा इस देवबणी के पुनरोत्थान हेतु गॉव ने कृपाविस के साथ मिलकर कार्य आरम्भ किया है।

कृपाविस देवबणी/ओरण संरक्षण से हो सकता है जल संकट का टिकाऊ हल

पुर्वी राजस्थान के अलवर जिले मे स्थित तालबृक्ष बणी/ओरण मे गंगा माता के प्रचीन मन्दिर के नीचे से दो, एक गर्म जल तथा एक ठंडे जल की धाराऐं निकलती हैं जो नीचे बने गर्म व ठंडे पानी के कुडों से होकर बहती हैं। नारायणी माता देवबणी में जल–स्त्रोत एक झरने के रूपमें माताजी के मन्दिर के नीचे से बहता हुआ दक्षिण दिशा से होकर पूर्व की तरफ लगभग एक मील तक कल–कल बहता है। जैपाल की देवबणी में पहाड़ से एक असाधारण जलस्त्रोत के रूप में झरना बहता है जिसका पानी समुदाय स्नान करने, पीने तथा पशु–पक्षियों एवं जंगली जीवों को भी पानी मिलता।

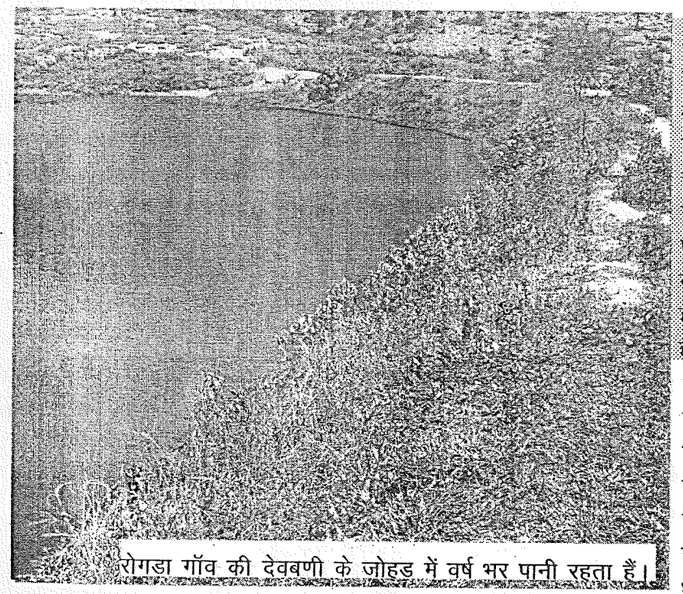

रोगड़ा गॉव की देवबणी के जोहड़ में वर्ष भर पानी रहता हैं।

गरबाजी की देवबणी से बहने वाले झरने द्वारा अनेको हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। जहाज की देवबणी जो ग्राम पंचायत तालाब पं0 सं0 राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है, यहॉ पर झरना बहता है और देखने पर व स्थानीय लोगों के कथनानुसार यह सर्दी, गर्मी और वर्षा एक समान रहता है। झरने पर कुण्ड़ बनाये गये है जिनमें लोग स्नान करते है।

शहीद बाबा देवबणी घाटीतला गांव की पश्यिम दिशा में है। देवबणी के नीचे एक जोहड़ी बनी हुई हैं। जोहड़ी में जो पक्की दीवार है यह भी उतनी ही पुरानी है जितना जोहड़ी है। शीतलदास देवबणी में पानी की कमी को दूर करने के लिए कहते हैं कि शीतलदास ने गुफा के नीचे आकर कठोर तपस्या की तब उन्हें परशुराम ने अपना फरसा भेंट कर आशीर्वाद दिया कि जहां–जहां फरसा मारोगे पानी निकल आएगा। उस फरसे के प्रताप से मुण्ड़ावर की अरावली पर्वत श्रृंखला में सात कुण्ड़ है। इन्हें परशुराम कुण्ड़, भैरू कुण्ड़ जयदग्नि कुण्ड, बोकराज कुण्ड़, पणिहारी कुण्ड, वेरो कुण्ड़ तथा आम्बा कुण्ड़ के नाम से जाना जाता हैं। शीतलदास देवबणी से 5 किलोमीटर की दुरी पर गोपाल दास की देवबणी मे एक ऐसा अनूठा पुराना तालाब, जिसे आज के अभियन्ता बना भी न सकें। गुर्जरबास की देवबणी मे 2 कुऐं, व 2 जोहड़ है।

अध्ययनो से साबित होता है कि प्रत्येक देवबणी/ओरण में कोई न कोई जल स्त्रोत अवश्य होता है। अलवर जिले में 31 प्रतिशत देवबणियों में परम्परागत जोहड़/तालाब है, जबकि 17 प्रतिशत में झरना या सरसाती नदी बहती है और 38 प्रतिशत देवबणियॉ ऐसी हैं जिनमें परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावडी, कुन्ड, टॉका, कुइया, आदि पाये जाते हैं जबकि 14 प्रतिशत में नल/बोरिंग हो गये हैं।

पश्चमी राजस्थान के ओरणो की जमीन मे नाडीयां पायी जाती है। सात–आठ महिने तक वर्षा का पानी पडा रहता। जमीन नम रहती। पानी आदमी और मवेशी दोनो के लिए काम आ जाता। तथा ओरण के किनारे से लगे खेतों की फसलें भी अच्छी रहती थी। धना जंगल वर्षा को भी आकर्षित करता था। खुशहाली ही खुशहाली। बाडमेर जिले की लंगेरा उदल की ओरण मे नीम–नाडी है जिसमे 3–4 महीने वर्षा की पानी रह जाता हैं। अकाल के समय मवेशियो के टोले के टोले इस ओरण का लाभ उठाया करते थे।

आज राजस्थान में जल जंगल–जमीन बचाने की संस्कृति 'ओरण देवबणियों' के सूखते जल स्त्रोत तथा खत्म होते पानी के परम्परागत साधनों से कई देवबणियों ओरण वीरान हो गयी हैं। अतः ओरण देवबणियों के परम्परागत जल स्त्रोतों को ठीक किया जावें और आवश्यकतानुसार नये स्त्रोत भी बनाये जावें जिससे कि जल संकट का टिकाउ हल किया जा सके।

कृपाविस

राजस्थान चरवाहा विकास संगठन ओरणों व चरागाह के सरक्षण हेतु आन्दोलनरत

दो वर्ष पुर्व कृपाविस बणी बखतपुरा अलवर में पशु पालक समाज की एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें रेबारी और गुर्जर पशुपालको ने कृषि एवं पारिस्थीतिकी विकास संस्थान (कृपा संस्था/कृपाविस) और लोकहित पशुपालक संस्थान सादडी पाली के साथ मिलकर पशुपालकों के हितों की रक्षा करने वालें उदेश्यों को पूरा करने के लिए एक राज्य स्तरीय संगठन बनाने का निर्णय किया। और जिसका नाम दिया 'राजस्थान चरवाहा विकास संगठन' जिसके तहत राज्य के सभी पशु पालक इस तरह संगठित हो जाए कि वे एक साथ मिलकर अपनी ताकत एवं आवाज सरकार तक पहुँचा सके और गलत नीतियों के लिए उसे चुनौति दे सके साथ ही पशुधन की समृद्वि को बढाने वाली नीतियों के लिए दबाव डाले व आन्दोलन कर सकें।

पशु उत्पादो और गरीबी मिटाने मे चारागाह व ओरण भूमि का महत्व साफ नजर आता है इसके बावजूद राजस्थान सरकार की चारागाह व ओरण भूमि से सम्बन्धित कोई नीति नहीं है। सही नीतियो के अभाव और कम होती चारागाह व ओरण भूमि के कारण देशी पशुओं जैसे–ऊँट, गाय और भेडो की संख्या मे तेजी से कमी हो रही है। राज्य सरकार विकास के नाम पर जो नीतियां बना रही है उससे ग्रामीण जनता के रोजगार और भूमि के सही उपयोग मे कमी होती जा रही है। घरेलु जानवर राजस्थान के कुल घरेलु उत्पादन का 19 प्रतिशत हिस्सा उत्पन करते है। फिर भी सरकारी स्त्रोत्रों का 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा इसके विकास के लिए तय किया जाता है।

पशुपालको की राय लिए बिना घरेलु पशुओं के लिए बेकार नीतियां बनायी गयी हैं और इसलिए ये नीतियां उनकी जरुरते पूरी नहीं कर सकती हैं। जबकि पशुपालक समुदाय दूध उत्पाद मॉस, ऊन, गोबर, बोझा ढोने वाले पशु और अन्य उत्पाद पैदा करता हैं। जिससे शहरी लोगों को लाभ मिलता हैं और ये उत्पाद विदेशों मे भी निर्यात किये जाते हैं। कम होते भूमि जल का कम से कम उपयोग करते हुए भी वे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भोजन का उत्पादन करते हैं पशु उनकी रोजी रोटी का साधन हैं और इनके बिना उनकी बेरोजगारी और बढ जायेगी। अतः 'राजस्थान चरवाहा विकास संगठन' नीतिगत परिर्वतनो के लिए आन्दोलनरत है। जो ग्राम स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर सक्रिय है।

संगठन, राजस्थान सरकार के रतनजोत उत्पादन व प्रसंस्करण हेतु लिये गए गलत नितिगत निर्णय जिसमे चारागाह व ओरणों की तथाकथित बंजर भूमि कुछ समूहों और निजी कम्पनियों को मुफ्त व रियायती दर पर आंवटित करने सम्बन्धित है, के विरोध मे आन्दोलनरत है। संगठन के अध्यक्ष श्री बगदी राम रइका के नेतृत्व मे सरकार को ज्ञापन देकर चेताया है कि रतनजोत उगाने के लिए तथाकथित बंजर भूमि जो ओरण व चारागाह की जमीन है उसे आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। संगठन की जिला स्तरीय समितियो ने भी इस तरह के ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को भिजवाये हैं। अतः चरवाहा समुदाय उनकी चारागाह ओरणों की जमीन को बचाने के लिए जगह–जगह आंदोलन कर रहा है।

ओरण/देवबणियों की भूमि कम्पनियों को

जनवरी 2007 मे राजस्थान सरकार ने रतनजोत के उत्पादन व प्रसंस्करण के लिए प्रदेश में करीब 57 लाख हैक्टेयर गैर कृषि योग्य बंजर भूमि कुछ समूहों और निजी कम्पनियों को मुफत व रियायती दर पर आंवटित करने का निर्णय किया। राज्य मे बंजर जमीन 105 लाख हैक्टेयर है, कृषि योग्य ब्रंजर भूमि 48.49 लाख हैक्टेयर है।

रतनजोत उत्पादन हेतु आवटन के लिए उपलब्ध गैर कृषि योग्य बंजर भूमि 56.51 लाख हक्टेयर बताई जा रही है। गौरतलब है कि उपरोक्त तथाकथित बंजर भूमि मे ओरण/देवबणीयो की लगभग सारी भूमि जो 6 लाख हैक्टेयर के आसपास है, सम्मिलित है जो कम्पनियो को आवटित कर दी जायेगी। इन ओरणों की भूमि पर प्रदेश के लगभग 75 लाख चरवाहा समुदायों की आजिविका पशु पालन के रुप मे निर्भर है। सरकार का दावा है कि इस नीति से 58 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे वहीं राष्ट्रीय नीति के तहत डीजल आयात में कमी की जा सकगी।

समुदायों व स्वैच्छिक संस्थाओं को रिझाने हेतु रतनजोत के उत्पादन करने वाले बीपीएल समूहों को सहायता, सब्सिडी भी मिलेगी, बंजर भूमि विकास योजना मरु विकास कार्यक्रम, सम्पुर्ण ग्रमीण रोजगार योजना गांरटी योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना से ऋण मिलेंगे इसके अलावा नोवोड़ से सब्सिडी मिलेगी। असलियत मे तो डी.ऑयल ब्रिटेन, रिलायंस, इडिण्यन ऑयल, हिन्दुस्तान पेटोलियम कम्पनियो जैसी दिग्गज कम्पनियो को ही जमीन आवंटित की जायेगी।

अतः प्रदेश के चरवाहा समुदायो ने सरकार के इस निर्णय को कम्पनियो व भूमाफिया द्वारा जमीन हडपने की नीति करार दिया है। चरवाहा समुदाय उनकी ओरणों की जमीन को बचाने के लिए जगह–जगह आंदोलन कर रहा है तथा कई स्वैच्छिक संस्थाओ ने सरकार के इस जमीन आवटंन प्रक्रिया को न्यायलय मे चुनौती दी है।

'ओरण फोरम' की कार्यशालाऐं

'ओरण फोरम' की कार्यशालाऐं अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग में क्रमशः मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसम्बर 2007 में आयोजित होगी। रूचि रखने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं से अनुरोध है कि कृपया इन कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु सूचित करें।

ओरण फोरम की कार्यशालाऐं विभिन्न संभागों में महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों की सहभागिता में आयोजित की जायेगी। जिससे की विभिन्न समूहों जिनमें सरकार, समुदायों, एकादमिक संस्थाऐं तथा स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी हो सकें। अकादमी संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अरावली व रेगिस्तान में पाये जाने वाली, विशेषकर ओरण देवबणियों में, वनस्पतियों व वन्य प्राणियों का अध्ययन कर सकें।

इस मुद्दे पर जो व्यक्ति या संस्थाऐं काम कर रही हों वे अपने अनुभव लिख कर भेज सके तो हम उन्हें अगले अंकों में प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे।

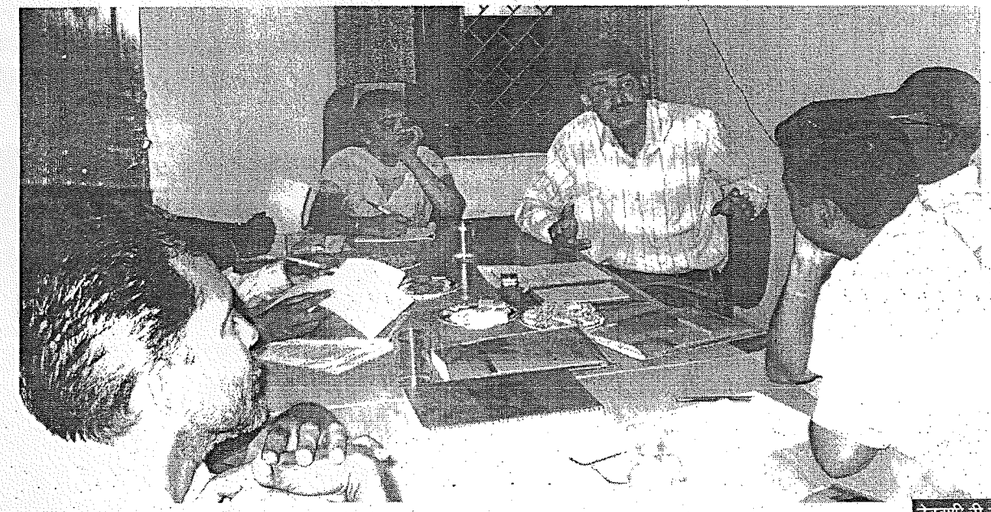

कृपाविस

खतरे मे है जैव विविधता
राधे–राधे रटत हैं आक–ढाक और कैर,
इन्हें कभी काट कर ना कर लैना बैर।

राजस्थान में 'ओरण' परम्परा ने प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने में निरन्तर योगदान दिया है। यह परम्परा न केवल पर्यावरण संरक्षण व संतुलन बनाये रखने की परम्परा है बल्कि ऐसा करने के मार्गों व पद्धतियों के अन्वेषण की परम्परा भी है। ओरण–देवबणियों ने गायों, बकरियों, भेड़ों, हिरणों आदि सभी वन्य जीवों को सदा अभय दिया है। सभी यहां सुरक्षित हैं। इस प्रथा के चलते लोगों का वनों में आना–जाना होता है, उनकी निगरानी रहती है और गांवों का इन वनों के साथ रिश्ता भी बना रहता है। गायों का सूखा गोबर तथा सूखी झाड़ियां ईंधन के रूप में बटोरने की अनुमति ये वन अवश्य देते हैं। राजस्थान के ओरण–देवबणियों ने एक उदाहरण पेश किया है, कि किस प्रकार एक हरा–भरा बाग लगाया व निरन्तर सींचा जा सकता है।

'तालवृक्ष देवबणी' में कभी ताल का घना जंगल हुआ करता था। 'ताल' एक देशज सदाबहार तथा बड़े आकार का सुन्दर वृक्ष, जिसे अर्जुन ;टर्मीनेलिया अर्जुना के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष की महत्वता है कि यह 25 मीटर उॅचा तथा 5 मीटर मोटा तक हो जाता है। जो ईमारती लकड़ी, गोंद आदि की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसकी पत्तियां मवेशियों के लिये उत्तम किस्म, 9–11 प्रतिशत कच्चा प्रोटीन व 14 से 20 प्रतिशत कच्चा रेशा, के चारे के उपयोगी होती हैं। लेकिन 'तालवृक्ष देवबणी' में अब पहले की तरह ताल के वृक्षों भरमार नहीं है। अतः आज यहां भी ताल के वृक्षों का अस्तित्व खतरे में है।

अलवर जिले की देवबणियों से 21 प्रकार के कंद खत्म हो गये – द्रोणपुषी, सत्यानासी, गूगल जडी–बूटियां दुर्लभ सी हो गई है। आकड़ा, ढाक तथा कैर इन तीन प्रजातियों के पौधों की संख्या भी देवबणी में कम हुई है, लेकिन औषधीय दृष्टि से इनका महत्व बहुत समझा जाता है, तभी तो इनके संरक्षण पर विशेष जोर दिया और इन्हें काटना बैर माना जाता है।

काला खैर; अकेशिया कटेचू एक दशक से तस्करों के निशाने पर चढ़ा हुआ है। पान एवं गुटखों से लेकर आयुर्वेद की दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खैर पर बढ़ता संकट इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इन ओरण–देवबणियों में विभिन्न तरह के औषधीय गुण की विभिन्न प्रजातियों जैसे–कदम, नीम, खीणा, बेर, बीलपत्रक, गझीड़ा, धौंक, ढ़ाक, गुंदी, गुगल, आदि तेजी से कम हो रही है।

रेगिस्तान प्रभावित 9 जिलों की स्थिति देखें तो 537000 हैक्टेयर क्षेत्रफल ओरणों से आछादित है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर एक अंकन के अनुसार राजस्थान के 1100 मुख्य ओरण –देवबणियों का क्षेत्रफल लगभग 1 लाख हैक्टेयर है। जबकि राजस्थान में कुल ओरण –देवबणिया की संख्या लगभग 25000 हैं। यानि 25000 वन्य अभ्यारण्यों को गॉव की सामूहिक सुरक्षा।

अनेकों ओरणों में अनेकों वन्य प्राणी जैसे :– हिरण, नीलगाय, सांप, नेवला, बिच्छू, गोह, गीदड़ तथा वन्य पक्षियों में मोर, तोता, मधुमक्खियां तथा अनेकों प्रकार की चिड़ियाएं विद्यमान है। ओरण/देवबणियो में प्राकृतिक वातावरण और झीलों व बांधों की बहुतायत मछलियों की विभिन्न प्रजातियों तथा अन्य जल जन्तुओं के लिये उपयुक्त आवास प्रदान करते हैं। अलवर जिले की देवबणियों/ओरणों में 57 प्रजातियॉ वन्य पशुओं की तथा 29 प्रजातियॉ पक्षियों की पाई जाती है। लेकिन उपयुक्त प्रबन्धन के अभाव मे ओरण देवबणीयों मे वन्य प्रार्णियों की संख्या व प्रजातीयों मे कमी हो रही है।

इन सब वन्य प्राणियों का प्राकृतिक सन्तुलन बनाये रखने में बड़ी भूमिका रही है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि ये वन्य प्राणी यहां के समाज व धार्मिक स्थली के बलबूते पर ही बचे हुए हैं जबकि यहां कोई जंगलात विभाग या अन्य सरकारी फौज इनकी देख–रेख नहीं करती। अतः देववणी व ओरणों में दुर्लभ होती हुई जड़ी–बूटियों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करने की अति आवश्यकता है। समाज के साथ–साथ सरकार की आय का बहुत बड़ा स्त्रोत बन सकती हैं, ये जड़ी बूटियॉ।

कृपाविस

देववणी/ओरण पर पंचायतों का अधिकार हो

राजस्थान मे देवबणियों व ओरणों का जिस कदर तेजी से बिगाड हुआ हुआ है उसका एक प्रमुख कारण देवबणियों व ओरणों का राजस्व विभाग की मलकियत मे होना है। जिससे इन के प्रबन्धन मे समाज व पंचायतें रुचि नहीं लेती हैं। लेकिन अन्य राज्यो जैंसे उतराखंड मे सामुहिक जंगल पर समाज का अधिकार होता है। वहॉ गॉव स्तरीय संगठन 'वन पंचायत' होती है। जिसे वैधानिक अधिकार प्राप्त है। उतराखंड राज्य मे वन पंचायतो का प्रबन्धन स्थानीय जनसमुदाय द्वारा वन विभाग के मार्गदर्शन एवं सहयोग से किया जाता है। वन पंचायत का अर्थ है– "स्थानीय गांव का जन समुदाय, जो सम्बन्धित वनों पर निर्भर है"।

ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर की पंचायत होती है, जो कि राजनीति से प्रेरित होती है, जबकि वन पंचायत की स्थापना स्थानीय नागरिकों द्वारा वनो एवं प्राकृतिक ससाधनो के उपयोग एवं संरक्षण के उद्देश्य से की जाती है। वन पचायत के सदस्यो का चुनाव स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जो वनो पर निर्भर जन समुदायो की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वन का प्रबन्धन करते है। 1931 मे वन पचायत की स्थापना से आज तक वन पंचायत से सम्बन्धित नियमो एवं सिद्वान्तो मे अनेक परिवर्तन किये गये। पिछले 75 वर्षो से वन पंचायते अस्तित्व मे है, और वर्तमान मे उतराचंल मे 11,000 वन पंचायतें स्थापित है।

पंचायती वनों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकताओं, जैसं– ईधन, चारा, इमारती लकड़ी की पूर्ति करना था। पंचायती वनों मे इस पंकार के वन है जो कि अनेक लुप्तप्राय वन्यजीवों, जैसे– कस्तूरी मृग, हिमालयन काला भालू, गुलदार, घ्वीराल तथा अन्य पक्षी, जैसे– मोनाल आदि के लिए एक उचित प्राकृतिक आवास हैं।

देश के एक अन्य राज्य मेघालय भी ऐसा राज्य है जहॉ पर ओरण देवबणियों का प्रबन्धन समुदायों के अधिकार क्षेत्र मे है। 'संयुक्त खासि– जयन्तिया हिल्स ओटोनोमस डिसटिक एक्ट 1958' के अनुसार लिंगधोह धार्मिक नेता या गॉव परम्परागत तरीके से प्रबन्धन व उपयोग करता है। इस छोटे से राज्य मे 10251 हैक्टेयर जमीन देवबणियों के तहत संरक्षित है जो 79 स्थानों पर सघन जंगलों के रुप मे विधमान है।

यूनेस्को तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रकाशित पुस्तक में विभिन्न राज्यों के देवबणी संरक्षण पर प्रकाशित सामग्री में जो अनुसंधान के आधार पर दिये गये आकड़ों से स्पष्ट है कि देवबणियां सरकार के अधिकार में रहने से कितनी सुरक्षित हैं।

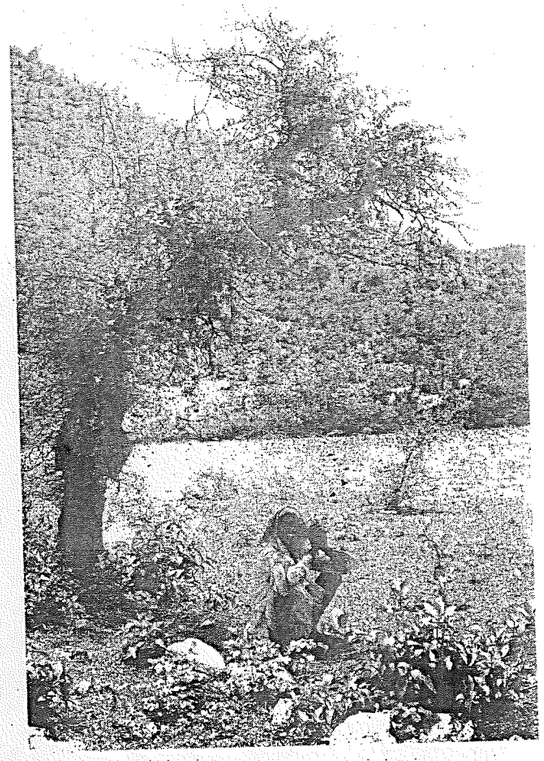

अतः राजस्थान मे भी उतराखंड व मेघालय की तरह ओरणों पर समाज तथा पंचायत का अधिकार हो तथा ओरण व्यवस्था पुनःस्थापित हो, इस हेतु सरकार को गंभीरता से विचार कर निति परिर्वतन करना चाहिए।

गॉव में यदि संरक्षित है – देवबणी।
तो मिलती है – जडी–बूटी और चारा पाणी॥
पारिस्थितिकी विकास के तीन धणी।
टिकाउ कृषि, उन्नत मवेशी और देवबणी॥

कृपाविस द्वारा देवबणी/ओरणों पर शोधयात्रा

देवबणियों व ओरणों पर समाज तथा पंचायत का अधिकार हो, ओरण व्यवस्था पुनःस्थापित हो, इस हेतु भारत सरकार के पर्यावरण व वन मन्त्रालय, पर्यावरण शिक्षण केन्द्र तथा विश्व संघ विकास कार्यक्रम के सहयोग से कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपा संस्था/कृपाविस) द्वारा 'स्थानीय जैव विविधता सम्बन्धित नीति और समुदायों की आजीविका हेतु ओरण देवबणियो का संरक्षण हेतु एडवोकेसी कार्यक्रम' के तहत राजस्थान के सभी जिलों मे चुन्निदा देवबणियों/ओरणों के सर्वे व अध्ययन का काम जुन 2007 सें शुरू हो रहा है। जिसे एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। जिसमे विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुभवी कार्यकर्ता, वनस्पति तथा जीव विशेषज्ञ, तथा वन कर्मी भाग लेगें। इस शोध कार्य हेतु विषय विशेषज्ञों जैसे डॉ. आर. ए. शर्मा (वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ), प्रो. आर. के. धवन (जीव जन्तु विशेषज्ञ), श्री यदुनाथ शर्मा (पारिस्थितिकी विज्ञान विशेषज्ञ), श्री रमन शर्मा (भूगोल शास्त्र विशेषज्ञ), श्रीमती प्रतिभा सिसोदिया (समाज विज्ञान विशेषज्ञ), श्री अमन सिंह (पर्यावरणविद्ध) आदि द्वारा 29 मई 2007 को अलवर में आयोजित 'ओरण फोरम' की बैठक में अध्ययन हेतु सर्वे प्रपत्र तैयार तथा शोध की प्रक्रिया तथा विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। सभी संबन्धित संस्थाओं, विभागों से अपील है कि कृपया इस राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में सहयोग करें।

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस), बख्तपुरा, अलवर (राज०) द्वारा जनहित में प्रसारित।
इस पत्रिका के लिए सहयोग 'विश्व संघ विकास कार्यक्रम' तथा 'पर्यावरण शिक्षण केन्द्र' से प्राप्त।
मुद्रक : प्रकाश प्रिन्टर्स, 9–ए, मनु मार्ग, अलवर।